

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक: 15 DEC 2017

—आदेश—

संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक— एफ 1(1)सानि/2015 दिनांक 16.12.2015 द्वारा श्री आलोक कटारिया, अधिशाषी अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) की प्रतिनियुक्ति ग्रामीण विकास में की गई थी ।

श्री आलोक कटारिया, अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज मुख्यालय, जयपुर की सेवाएं निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक निर्माण विभाग को लौटाई जाती हैं एवं निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) में प्रस्तुत करें ।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।



(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

E-mail dsadmn_rdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया श्री कटारिया को कार्यमुक्त कराने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
10. श्री आलोक कटारिया, अधिशाषी अभियन्ता पंचायती राज मुख्यालय, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



(राजेश कुमार शर्मा)

परियोजना अधिकारी(प्रशासन)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(3)ग्रावि/गुप-1/2017


जयपुर, दिनांक

13 DEC 2017

—: आदेश :-

शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प1(180) कार्मिक/क-3/2016 दिनांक 07.11.2017 के द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रकरणों में पुनरावलोकन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.10.2017 के निर्णयानुसार श्री हितबल्लभ शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता(पंचायती राज) को उनके विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच को प्रभावित किए बिना राज्य सरकार द्वारा निलम्बन से बहाल किए जाने के फलस्वरूप श्री शर्मा द्वारा आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग को दिनांक 08.11.2017 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है ।

उक्त श्री हितबल्लभ शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता(पंचायती राज) को ग्रामीण विकास मुख्यालय, जयपुर में परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव(मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन) के रिक्त पद के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।


(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प1(180) कार्मिक/क-3/2016 दिनांक 07.11.2017 के सन्दर्भ में ।
8. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास ।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास ।
12. श्री हितबल्लभ शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (पंचायती राज)।
13. संस्थापन शाखा, ग्रामीण विकास मुख्यालय ।
14. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)